

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 14-09-2021**

थाना कपिलवस्तु पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

डॉ. यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 14.09.2021 को थानाध्यक्ष कपिलवस्तु श्री महेश सिंह के नेतृत्व में एक वारंटी अभियुक्त को ग्राम मिश्रोलिया से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

1-राधेश्याम पुत्र राम शरण ग्राम मिश्रोलिया थाना कोतवाली कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 14-09-2021**

आज दिनांक 14-09-2021 को थाना शिवनगर डिडई पर आवेदक/प्रार्थी वर्तमान समय में बडोदा यू0पी0 बैंक शाखा तिलौली, जनपद सिद्धार्थनगर में शाखा प्रबन्धक पद पर कार्यरत है बैंक के खाता धारक/पीड़ित श्री प्रहलाद प्रसाद यादव द्वारा दिनांक 22.07.2021 को शिकायती प्रार्थना पत्र के द्वारा अवगत कराया गया, कि खाता धारक/पीड़ित श्री प्रहलाद प्रसाद यादव के बचत खाता 3238015596 से दिनांक 15.05.2020 को 5,00,000/- रू0( पांच लाख रुपये मात्र ) तथा दिनांक 28.08.2020 को 3,20,000/-रू0( तीन लाख बीस हजार रुपये ) कुल रुपये 8,20,000/-रूपये (आठ लाख, बीस हजार रुपये) बिना खाता धारक/पीड़ित श्री प्रहलाद प्रसाद यादव की जानकारी के कूटरचित हस्ताक्षर द्वारा निकाल लिया गया है, घटना के दिन तत्कालीन शाखा प्रबन्धक श्री राजेश श्रीवास्तव ई0सी0सं0-51990 के आईडी द्वारा ही उक्त धनराशि की निकासी हुई है घटना के दिन बैंक में श्री विवेक कुमार(रोकडिया) ई0सी0सं-054191 एवं श्री सावन कुमार सिंह(रोकडिया) ई0सी0सं0-53658 शाखा पर रोकडिया के पद पर कार्यरत थे, श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन शाखा प्रबन्धक, श्री विवेक कुमार रोकडिया, श्री सावन कुमार रोकडिया ने दिनांक 15.05.2020 एवं 28.08.2020 को मिलीभगत करके हस्ताक्षर का ठीक ढंग से मिलान नहीं किये जान-बूझकर खाता धारक/पीड़ित प्रहलाद प्रसाद यादव के खाते से 8,20,000/- (आठ लाख बीस हजार रुपये निकाल लिया गया। उनके द्वारा बैंक के गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया उनका यह कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है।

सूचना उपरोक्त/लिखित प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**प्रेस नोट दिनांक 14.09.2021**  
**थाना शोहरतगढ जनपद सिद्धार्थनगर**

डॉ० यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 14.09.2021 को श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ के नेतृत्व में उ.नि. रामाप्रसाद यादव व एसएसबी टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त को 28 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं 212/21 धारा 8/22 NDPS Act पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है -

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -**

नरेन्द्र पाण्डेय पुत्र दुर्गा प्रसाद पाण्डेय निवासी कोपवा बानगंगा नगर पालिका वार्ड नं. 2 थाना बानगंगा जिला कपिलवस्तु नेपाल

**बरामदगी का विवरण -**

28 ग्राम हीरोईन

**प्रेस नोट दिनांक:- 14.09.2021**

थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर से दो अलग-अलग प्रकरण में 02 अभियुक्त व 2 कुंटल चावल व 2 दो अदद साइकिल को धारा 11 कस्टम अधिनियम में गिरफ्तार कर कस्टम कार्यालय ककरा हवा जनपद सिद्धार्थनगर भेजा गया ।

डॉ. यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व थानाध्यक्ष लोटन श्री अभिमन्यु सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 14.09.2021 को रोकथाम तस्करी रोकनी एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 11 कस्टम अधिनियम के अन्तर्गत 02 अभियुक्त को समय करीब 14.45 बजे गिरफ्तार कर 2 कुंटल चावल व दो अदद साइकिल कस्टम कार्यालय ककरहवा रवाना किया गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

1. राजेंद्र पुत्र खुशियार ग्राम बड़हरा थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।
2. गंगाराम पुत्र आसरे ग्राम बड़हरा थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।


**प्रेसनोट दिनांक- 14.09.2021**  
**एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा की कार्यवाही में 03 शोहदे धरे गये ।**

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले इलाके आदि स्थानों पर महिलाओं के साथ अभद्रता व अश्लील हरकत आदि करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी ।

डॉ० यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनचलों एवं रोमियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 14.09.2021 को प्रभारी एंटी रोमियो महिला उ०नि० श्रीमती पूनम मौर्या द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत थाना सिद्धार्थ नगर में आज स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थानाक्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों, पार्कों आदि में चेकिंग की गयी। इस दौरान 03 शोहदे पकड़े गये । पकड़े गये शोहदो के विरुद्ध उचित कार्यवाही की गई। शोहदो के घर वालो से बात करने के बाद घरवालों के द्वारा पुनः गलती ना करने के आश्वासन तथा शोहदो द्वारा माफी मांगने व भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने के शपथ खाने के बाद चेतावनी देकर छोड़ा गया ।

**सराहनीय कार्य दिनांक 14.09.2021**

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्नाटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी यातायात पुलिस/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-14-09-2021 को जनपदीय पुलिस एवं यातायात पुलिस बल द्वारा एम०वी० एक्ट के अंतर्गत 548 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 102 वाहनों का चालान कर ₹ 1,15,000/-शमन शुल्क वसूल किया गया ।



**प्रेस नोट दिनांक:- 14.09.2021 थाना डेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर**

थाना डेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर से एक नफर अभियुक्त के पास से 418 गोली नाइट्रावेट के साथ बहद ग्राम डिहवा से गिरफ्तार किया गया ।

डा० यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक डेबरुआ श्री ब्रह्मा गौड के नेतृत्व में दिनांक 14.09.2021 को थाना डेबरुआ पुलिस टीम द्वारा व SSB टीम बढनी के द्वारा एक अभियुक्त के पास से 418 गोली नाइट्रावेट के साथ डिहवा से गिरफ्तार किया गया । जिस के संबंध में मु०अ०सं० 184/21, धारा 8/21/23 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-**

1. किशोर प्रताप सेन पुत्र कमल प्रताप सेन निवासी बकेही थाना चंद्रौटा जनपद कपिलवस्तु नेपाल बरामदगी का विवरण-418 गोली नाइट्रावेट अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया ।

**प्रेस नोट- थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 14.09.2021**

थाना खेसरहा पुलिस ने 10 माह से लापता अपहृता को मुम्बई /महाराष्ट्र से बरामद किया ।

डॉ. यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन, श्री अरुण चन्द क्षेत्राधिकारी बाँसी के कुशल पर्यवेक्षण, श्री रवीन्द्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना खेसरहा सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में मु०अ०सं० 189/20 धारा 363,366 भा.द.वि. से सम्बन्धित अपहृता जो 10 माह से लापता चल रही थी, को गठित टीम/विवेचक द्वारा गिरगांव चौपाटी क्षेत्र वालकेश्वर रोड थाना मलबार हिल पोलीस ठाणे मुंबई से सर्विलांस सेल सिद्धार्थनगर व स्थानीय पुलिस के सहयोग से बरामद किया गया ।

**बरामद करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

1. उ०नि० श्री रामफल चौरसिया थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर
2. HC अनिल कुमार चौहान थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर
3. महिला आरक्षी अर्चना मिश्रा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर

**विशेष सहयोग –**

1. का.दिलीप कुमार द्विवेदी सर्विलांस सेल सिद्धार्थनगर
2. का.विवेक कुमार मिश्रा सर्विलांस सेल सिद्धार्थनगर
3. मुम्बई/महाराष्ट्र की स्थानीय पुलिस

प्रेस नोट- थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 14.09.2021

18 शीशी बंटी बबली नाजायज देशी शराब बरामद, 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार ।

डॉ० श्री यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में, श्री दिनेश चंद्र चौधरी प्रभारी निरीक्षक थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 14.09.2021 को शांति व्यवस्था के दृष्टिगत 01 नफर अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०स० 76/2021 धारा 60 (1)एक्ट के तहत गिरफ्तार कर, अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01.टिटीरू पुत्र सोहरत साकिन खोरिया शिव बक्श थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थ नगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01.HC अनिल यादव थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थ नगर

02.HC इन्द्रेश यादव थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थ नगर

